IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 6, March 2026
Impact Factor: 8.2

jk"Vªh; [kk| lqj{kk vf/kfu;e 2013 dk iHkko

¼Nrjiqj ftys ds fo'ks"k lanHkZ esa½

MkW- e/kfydk JhokLro
प्राध्यापक समाजशास्त्र
शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

'kks/k lkjka'k %&

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण कानून है। इसका उद्देश्य पात्र परिवारों को सब्सिडी दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। ग्रामीण आबादी के लगभग 75 प्रतिशत और शहरी आबादी के लगभग 50 प्रतिशत हिस्से को शामिल किया गया। पात्र परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो खाद्यान्न (चावल, गेहूं, मोटा अनाज) सब्सिडी दरों पर उपलब्ध कराया जाता है। अंत्योदय परिवारों को प्रति परिवार 35 किलो खाद्यान्न मिलता है। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण आहार और नकद सहायता।

eq[; 'kCn %&राष्ट्रीय, खाद्य, सुरक्षा, अधिनियम, अंत्योदय, प्रभाव, ग्रामीण, आबादी आदि।

izLrkouk %&

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के समाज पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने के लिए इसके अंतर्गत विभिन्न योजनाओं यथा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मध्यान्ह भोजन योजना तथा पूरक पोषण आहार से खाद्य एवं पोषण सुरक्षा देना है। अन्त्योदय अन्न योजना के परिवार एवं प्राथमिकता परिवारों को खाद्य सुरक्षा की अधिकारिता के पालन के लिए टी.पी.डी.एस. से लाभ देना है। मध्य प्रदेश में जारी होने वाले ई–राशन कार्ड (पात्रता पर्ची) में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला को गृहस्थी का मुखिया बनाया जाना।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रारंभ खाद्यान्नों की आपूर्ति के उचित मूल्यों से वितरण के प्रबन्धन हेतु किया गया। योजना का संचालन केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा सम्मिलित रूप से किया जाता है। राज्य द्वारा विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजना के तहत नियुक्त संस्थाओं से खाद्यान्न का उपार्जन एवं भंडारण करवाया जाता है। अतः इसी स्टॉक में से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वितरण के लिए भारत शासन से गेहूँ, चावल एवं मोटे अनाज का आवंटन प्राप्त करता है। विभाग द्वारा जिलों को आवंटन, पात्रता–पर्ची (ई–राशन कार्ड) जारी करना, खाद्यान्न का वितरण एवं उसका पर्यवेक्षण आदि कार्य किये जाते हैं। पी.डी.एस. के अंतर्गत गेहूँ, चावल, मोटे अनाज, शक्कर एवं केरोसीन के अतिरिक्त नमक भी वितरण किया जाता है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत समय पर हितधारकों को खाद्य सामग्री के वितरण के चुनौतीपूर्ण कार्य कई संस्थाओं के सहयोग से ही किया जाना संभव है। मध्य प्रदेश में विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजना अंतर्गत खाद्यान्न के उपार्जन हेतु एम.पी.एस.सी.एस.सी. एवं मार्कफेड एजेंसियाँ हैं। उपार्जित खाद्यान्न का वैज्ञानिक भण्डारण वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन द्वारा किया जाता है। खाद्यान्न के परिवहन एवं उचित मूल्य दुकान तक प्रदाय एफ.पी.एस. तक खाद्यान्न, शक्कर एवं नमक परिवहन का कार्य

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 6, March 2026 Impact Factor: 8.2

करती है। एफ.पी.एस. से पात्र हितग्राहियों को खाद्यान्न का वितरण कराने की जिम्मेदारी संचालनालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की है।

'kks/k ifof/k %&प्रस्तुत शोध आलेख में निदर्शन विधि का प्रयोग करते हुए स्थानीय कार्यालयों से प्राप्त पत्र–पत्रिकाओं एवं सांख्यिकीय समंकों को एकत्रित किया गया है। साक्षात्कार, अवलोकन व सारणीयन कर जिले से आंकड़ों का संकलन करके विश्लेषण किया गया है।

ik= ifjokjksa dk fpUgkdu%&

मध्य प्रदेश में वर्ष 2011 की जनसंख्या अनुसार 62.61 प्रतिशत शहरी एवं 80.10 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को खाद्य सुरक्षा की हकदारी है। खाद्य सुरक्षा हेतु एन.एफ.एस.ए. में दो श्रेणी यथा अन्त्योदय एवं प्राथमिकता परिवार माने गये हैं। मध्य प्रदेश के लिए जनसंख्या की कुल सीमा 5,46,42,214 तय की गई है।

दिसम्बर 2000 में टी.पी.डी.एस. जनसंख्या में से अतिगरीब आबादी पर अधिक ध्यान देने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर 1 करोड़ परिवारों को अत्यन्त रियायती दर पर खाद्यान्न का लाभ देने के लिए अन्त्योदय अन्न योजना प्रारंभ की गई। इसकी सीमा 2.5 करोड़ परिवार तक सीमित की गई है, इसमें मध्य प्रदेश के लिए 15.81 लाख परिवारों की सीमा तय की गई है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पात्रता श्रेणी के परिवारों के सदस्यों हेतु राज्य के द्वारा 28 श्रेणियों को सम्मिलित किया गया है। माह फरवरी 2021 की स्थिति में 1.16 करोड़ पात्र परिवार के 4.94 करोड़ सदस्यों को लाभान्वित किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 (एन.एफ.एस.ए.) लागू होने के बाद समाज में क्या परिवर्तन आया है। इसकी उपयोगिता एवं लोगों पर पड़ने वाले सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव का अध्ययन के लिए छतरपुर जिले का चयन किया गया है।

शोध में सर्वप्रथम उत्तरदात्ताओं की सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि को जानने का प्रयास किया गया है। प्रस्तुत शोध में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 छतरपुर जिले के विकासखण्ड छतरपुर के जिन 08 ग्राम पंचायतों को चुना गया है उसमें क्रमशः **1- cjk;p [kjk] 2- ctijk] 3- <Mkjh] 4- gek] 5- dykikuh] 6- dk'khijk] 7- iMfj;k] 8- igkMxko** हैं इन ग्राम पंचायतों में क्रियान्वित हो रही हैं **;ktuk,a lkoZtfud forj.k i.kkyh] e/;kUg Hkkstu ;ktuk ,oa vkxuokMh dUnz e ijd ik"k.k vkgkj forj.k ;ktukvksa d v/;;u gsrq mUkjnkrkvksa dk p;u fd;k x;k gA** इसके अन्तर्गत उत्तरदाताओं की आयु, जाति/वर्ग, शैक्षणिक योग्यता, वार्षिक आय, विवाह, शैक्षणिक योग्यता, पारिवारिक व्यवसाय, पारिवारिक स्वरूप, भूमि स्वामित्व इत्यादि को शामिल किया गया है। सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि के अर्न्तगत इन कारकों को शामिल करने के पीछे मुख्य कारण यह है कि समाजीकरण की प्रक्रिया का आयु के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। मनुष्य की आयु उसके अनुभव एवं क्रियाकलापों की प्रमाप होती है।

इसी प्रकार शैक्षणिक योग्यता से न केवल व्यक्ति के ज्ञान की वृद्धि होती है अपितु इसके द्वारा उसकी योग्यता, कुशलता और क्षमता का विकास भी होता है। व्यवसायिक और आर्थिक जीवन के सम्बन्ध में शिक्षा व्यक्ति को इस प्रकार से प्रशिक्षित करती है कि वह अपनी नवीन भूमिकाओं का उचित ढंग से निर्वाह कर सके। इसमें श्रेणी एवं वर्ग का भी महत्वपूर्ण स्थान है। यह कारक ग्रामीण सामाजिक संरचना में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी प्रकार पारिवारिक व्यवसाय पर ही

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 6, March 2026 Impact Factor: 8.2

आर्थिक स्थिति निर्भर करती है जो कि व्यक्ति के व्यवहार का महत्वपूर्ण निर्धारक कारक है। व्यवसाय व्यक्ति की सोच, मनोवृति एवं उसके व्यक्तित्व के विकास को काफी हद तक प्रभावित करने वाला कारक है।

इसी प्रकार परिवार का संयुक्त या एकल होना भी महत्वपूर्ण तत्व है। परिवार न केवल समाज की निरन्तरता एवं स्थायित्व को बनाये रखने में ही अपना योगदान नहीं देता, अपितु व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला एकमात्र परिवार ही है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त कारकों को सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि में शामिल किया गया है। प्रत्येक कारक से संबंधित आँकड़ों का उत्तरदाताओं से प्राप्त जानकारी से विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है जो निम्नानुसार प्रस्तुत है–

rkfydk Øekad&1

jk"Vªh; [kk| lqj{kk vf/kfu;e&2013 ds ykHkkfFkZ;ksa dh vk;q

Ø-	fooj.k	la[;k	izfr'kr
1.	20 वर्ष से 30 वर्ष	21	26.25
2.	31 वर्ष से 40 वर्ष	32	40.00
3.	41 वर्ष से 50 वर्ष	16	20.00
4.	51 वर्ष से अधिक	11	13.75
	;ksx	**80**	**100.00**

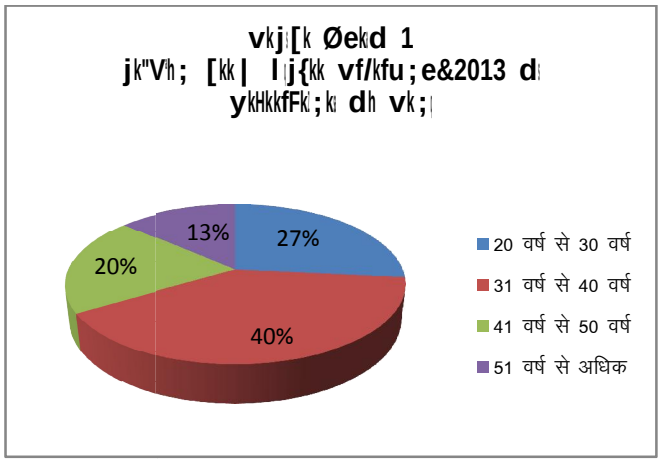

उक्त तालिका क्रमांक 1 एवं आरेख क्रमांक 1 से स्पष्ट है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के लाभार्थियों की आयु में 320 उत्तरदाताओं को साक्षात्कार के लिए सम्मिलित किया गया जिसमें से 26.56 प्रतिशत उत्तरदाताओं जो 20 वर्ष से 30 वर्ष से साक्षात्कार लेने पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 से लाभान्वित हुए हैं, 40.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं जो 31 वर्ष से 40 वर्ष से साक्षात्कार लेने पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 से लाभान्वित हुए हैं, 20.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं जो 41 वर्ष से 50 वर्ष से साक्षात्कार लेने पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 से लाभान्वित हुए हैं जबकि 13.44 प्रतिशत उत्तरदाताओं जो 51 वर्ष से अधिक उम्र से साक्षात्कार लेने पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 से लाभान्वित हुए हैं।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 6, March 2026
Impact Factor: 8.2

इस प्रकार निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि सर्वाधिक 40.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं जो 31 वर्ष से 40 वर्ष आयु समूह से साक्षात्कार लेने पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 से लाभ मिल रहा हैं।

rkfydk Øekd&2

jk"Vªh; [kk| lqj{kk vf/kfu;e&2013 dh ykHkkfFkZ;ksa dh tkfr@oxZ dh fLFkfr

Ø-	fooj.k	la[;k	izfr'kr
1.	सामान्य	24	30.00
2.	अनुसूचित जाति	24	30.00
3.	अनुसूचित जनजाति	3	3.75
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग	29	36.25
;ksx		**80**	**100.00**

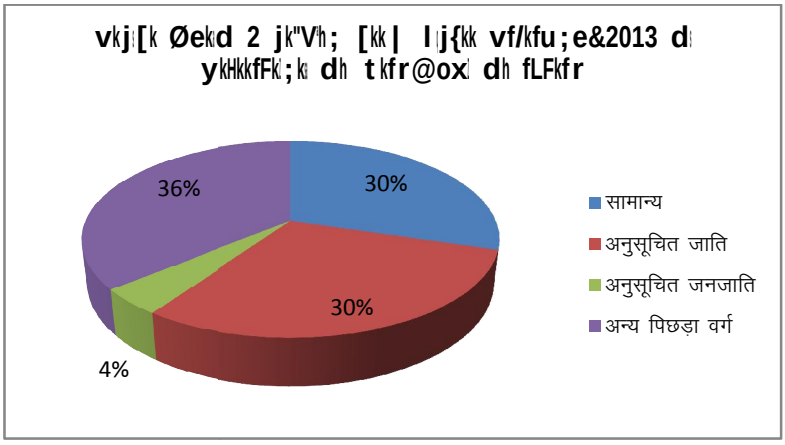

उक्त तालिका क्रमांक 2 एवं आरेख क्रमांक 2 से स्पष्ट है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के लाभार्थियों dh जाति/वर्ग की स्थिति के संबंध में 320 उत्तरदाताओं में से 35.95 प्रतिशत उत्तरदाताओं का साक्षात्कार लेने पर ज्ञात हुआ कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के जाति/वर्ग की स्थिति अन्य पिछड़ा वर्ग की है, 30.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं का साक्षात्कार लेने पर ज्ञात हुआ कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 में लाभार्थियों के जाति/वर्ग की स्थिति अनुसूचित जाति की रही है, 29.71 प्रतिशत उत्तरदाताओं का साक्षात्कार लेने पर ज्ञात हुआ कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 में लाभार्थियों के जाति/वर्ग की स्थिति सामान्य वर्ग की है जबकि 4.34 प्रतिशत उत्तरदाताओं का साक्षात्कार लेने पर ज्ञात हुआ कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 में लाभार्थियों के जाति/वर्ग की स्थिति अनुसूचित जनजाति की है।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि सर्वाधिक 35.95 प्रतिशत उत्तरदाताओं का साक्षात्कार लेने पर ज्ञात हुआ कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 में लाभार्थियों के अन्य पिछड़ा वर्ग की रही है। इससे स्पष्ट होता है कि विकासखण्ड छतरपुर में अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थी सर्वाधिक लाभान्वित हो रहे हैं।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 6, March 2026
Impact Factor: 8.2

rkfydk Øekd&3

oSokfgd Lrj dh fLFkfr

Ø-	fooj.k	la[;k	izfr'kr
1.	विवाहित	69	86.25
2.	अविवाहित	6	7.50
3.	विधवा/विधुर	5	6.25
;kx		**80**	**100.00**

उक्त तालिका 3 से स्पष्ट है कि वैवाहिक स्तर की स्थिति के संबंध में 320 उत्तरदाताओं में से 86.25 प्रतिशत उत्तरदाताओं का साक्षात्कार लेने पर ज्ञात हुआ कि वैवाहिक स्तर की स्थिति विवाहित रही है, 7.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं का साक्षात्कार लेने पर ज्ञात हुआ कि वैवाहिक स्तर की स्थिति अविवाहित रही है जबकि 06.25 प्रतिशत उत्तरदाताओं का साक्षात्कार लेने पर ज्ञात हुआ कि वैवाहिक स्तर की स्थिति विधवा/विधुर रही है।

इस प्रकार से कहा जा सकता है कि सर्वाधिक 86.25 उत्तरदाताओं का साक्षात्कार लेने पर ज्ञात हुआ कि विवाहित व्यक्तियों की संख्या खाद्यान्न प्राप्त करने की सर्वाधिक रही है।

rkfydk Øekd&4

mÙkjnkrkvksa dh okf"kd vk;

Ø-	fooj.k	la[;k	izfr'kr
1.	25000 से कम	16	20.00
2.	25000 से 50,000	32	40.00
3.	50,000 से 75,000	20	25.00
4.	75,000 से 1,00,000	7	8.75
5.	1,00,000 से अधिक	5	6.25
;kx		**80**	**100.00**

उपरोक्त तालिका 4 से स्पष्ट होता है कि उत्तरदाताओं की वार्षिक आय के संबंध में 320 उत्तरदाताओं की वार्षिक आय 25 हजार से कम, 25 से 50 हजार, 50 से 75 हजार, 75 से 1 लाख व 1 लाख से अधिक की आय से सम्बन्ध रखने वाले हैं। अध्ययन से स्पष्ट है कि 40.00 प्रतिशत उत्तरदाता 25 से 50 हजार की आय से सम्बन्ध रखने वाले हैं। केवल 25.00 प्रतिशत उत्तरदाता ही 50 हजार से 75 हजार आय से सम्बन्धित हैं। 20.00 प्रतिशत उत्तरदाता ही 25 हजार से कम आय से सम्बन्धित हैं। 8.75 प्रतिशत उत्तरदाता ही 75 हजार से एक लाख तक आय से सम्बन्धित हैं। 6.25 प्रतिशत उत्तरदाता ही एक लाख से अधिक आय से सम्बन्धित है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि 40.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं की वार्षिक आय 25 से 50 हजार सर्वाधिक हैं।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 6, March 2026
Impact Factor: 8.2

rkfydk Øekd&5

mÙkjnkrkvksa dh 'kS{kf.kd ;kX;rk,¡

Ø-	fooj.k	l[;k	izfr'kr
1.	अनपढ़	29	36.25
2.	दसवीं तक	34	42.19
3.	12वीं से अधिक	17	21.56
	;kx	**80**	**100.00**

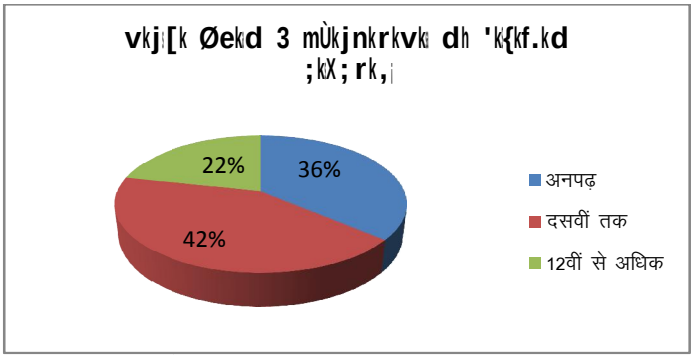

उपरोक्त तालिका क्रमांक 5 एवं आरेख क्रमांक 3 में शैक्षणिक स्तर में अनपढ़, दसवीं तक, 12वीं से अधिक को शामिल किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट है कि 36.25 प्रतिशत उत्तरदाता अनपढ़ है, 42.19 प्रतिशत उत्तरदाता दसवीं तक शिक्षित हैं व केवल 21.56 प्रतिशत उत्तरदाता ही 12वीं से अधिक शिक्षित है।

इस प्रकार से कहा जा सकता है कि 42.19 प्रतिशत उत्तरदाता दसवीं तक शिक्षित हैं की शैक्षणिक योग्यताएँ सर्वाधिक है।

rkfydk Øekd&5-6

mÙkjnkrkvksa dk ikfjokfjd Lo:i

Ø-	fooj.k	l[;k	izfr'kr
1.	एकल	62	77॰50
2.	संयुक्त	18	22॰50
	;kx	**80**	**100.00**

उपरोक्त तालिका 6 में पारिवारिक स्वरूप में एकल व संयुक्त परिवार को शामिल किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट है कि 77.50 प्रतिशत उत्तरदाता यानि आधे से अधिक उत्तरदाता एकल परिवार से व 22.50 प्रतिशत संयुक्त परिवार से हैं।

इस प्रकार से निष्कर्षतः कह सकते हैं कि सर्वाधिक 77.50 प्रतिशत एकल परिवार के उत्तरदाता शामिल है।

Copyright to IJARSCT
www.ijarsct.co.in
DOI: 10.48175/IJARSCT-32092

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 6, March 2026
Impact Factor: 8.2

rkfydk Øekd&7

mÙkjnkrkvk d ikfjokfjd 0;olk;

Ø-	fooj.k	l[;k	ifr'kr
1.	कृषि	40	50ण्00
2.	पारम्परिक व्यवसाय	11	13ण्75
3.	मजदूरी	29	36ण्25
;kx		80	100.00

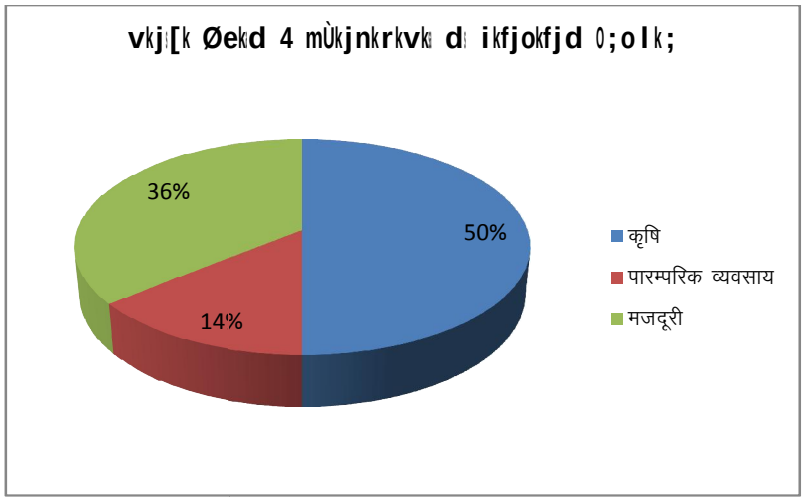

उपरोक्त तालिका क्रमांक 7 एवं आरेख क्रमांक 4 में छतरपुर जिले विकासखण्ड छतरपुर की 8 ग्राम पंचायतों के लाभार्थियों के पारिवारिक व्यवसाय सम्बन्धी स्थिति जिसमें कृषि, पारम्परिक व्यवसाय एवं मजदूरी को शामिल किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट है कि 50.00 प्रतिशत उत्तरदाता कृषि, 13.75 प्रतिशत पारम्परिक व्यवसाय तथा मजदूरी करने वाले 36.25 प्रतिशत उत्तरदाता हैं।

इस प्रकार से कहा जा सकता है कि सर्वाधिक 50.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कृषि कार्य के रूप में संलग्न है। इस तरह से विकासखण्ड छतरपुर के अधिकांश लोगों का व्यवसाय कृषि कार्य है।

rkfydk Øekad&8

mÙkjnkrkvksa dh Hkwfe@tehu lEcU/kh tkudkjh

Ø-	fooj.k	la[;k	izfr'kr
1.	भूमिहीन	26	32ण50
2.	02 एकड़ से कम	18	22ण50
3.	02 एकड़ से 5 एकड़ तक	22	27ण50
4.	5 एकड़ से ऊपर	14	17ण50
;ksx		80	100.00

उपरोक्त तालिका क्रमांक 8 में छतरपुर विकासखण्ड के 8 ग्राम पंचायतों के लाभार्थियों की जमीन/भूमि सम्बन्धी स्थिति जिसमें भूमिहीन, 02 एकड़ से कम, 2 एकड़ से 5 एकड़ तक, 5 एकड़ से अधिक को शामिल किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट है कि 32.50 प्रतिशत उत्तरदाता भूमिहीन, 22.50 प्रतिशत 2 एकड़ से कम, 27.50 प्रतिशत 02 एकड़ से 5 एकड़ तक तथा 17.50 प्रतिशत 5 एकड़ से अधिक भूमि के स्वामी है।

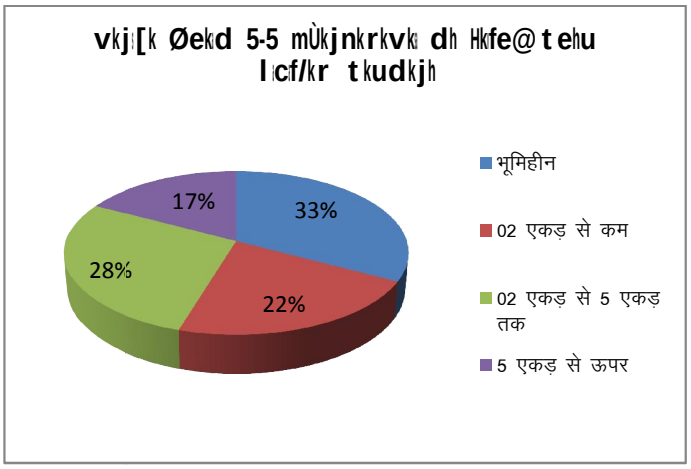

उक्त तालिका के अध्ययन से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 32.50 प्रतिशत उत्तरदाता भूमिहीन हैं। इस तरह से 5 एकड़ से अधिक भूमिस्वामी 17.50 प्रतिशत उपभोक्ता खाद्यान्न सस्ती दर से प्राप्त कर रहे हैं।

D;k vki jk'Vªh; [kk| lqj{kk vf/kfu;e] 2013 ds ckjs esa tkurs@tkurh gSa

किसी भी विकास तथा जनकल्याण की योजना की सफलता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि उसके बारे में लाभार्थियों को कितनी जानकारी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 भुखमरी व गरीबी के खिलाफ एक बहुत बड़ा कदम है। यह कानून तभी सफल होगा जब लाभार्थियों को इसके बारे में जानकारी होगी।[1] इसी तथ्य को आधार मानकर यह जानने का प्रयास किया गया है कि क्या लाभार्थी 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के बारे में जानते/जानती हैं ?

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 6, March 2026
Impact Factor: 8.2

rkfydk Øekd&9

D;k vki jk"Vªh; [kk| lqj{kk vf/kfu;e] 2013 ds ckjs esa tkurs@tkurh gSa

Ø-	fooj.k	la[;k	izfr'kr
1.	हाँ	45	56ʊ25
2.	नहीं	15	18ʊ75
3.	नाम सुना है	20	25ʊ00
	;ksx	**80**	**100.00**

स्त्रोत् :– स्वतः के सर्वेक्षण से

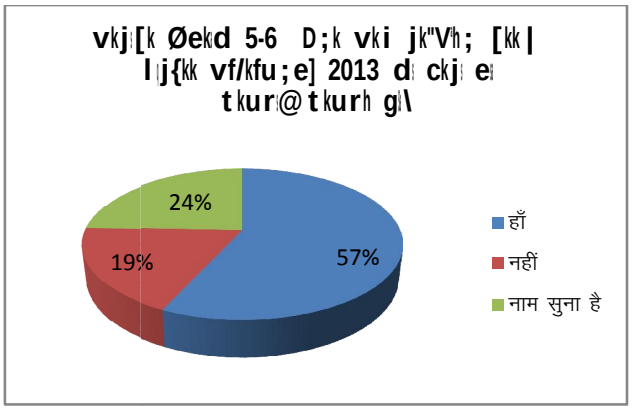

उपरोक्त तालिका क्रमांक 9 से प्राप्त आँकड़ों के परिणाम से स्पष्ट है कि 100 प्रतिशत यानि सभी उत्तरदाताओं के अनुसार उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के बारे में 56.25प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के बारे में जानकारी है, 18.75 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के बारे में जानकारी नहीं है जबकि 25.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के बारे में नाम सुना है।

इस प्रकार से निष्कर्षतः कह सकते हैं कि अध्ययन से स्पष्ट है कि अधिकांशतः उत्तरदाता को अधिनियम सम्बन्धी जानकारी है।

**D;k vki vius jk"ku dkMZ ij feyus okys jk"ku dk ykHk mBk jgs gSa **

किसी भी जनकल्याणकारी योजना की सफलता का पैमाना यह है कि लाभार्थी उससे कितना लाभ उठा रहे है और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन उपरान्त उनकी सामाजिक– आर्थिक स्थिति में कितना सुधार आया है। अधिनियम के अर्न्तगत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बी॰पी॰एल॰, ए॰ए॰वाई॰, पी॰एच॰एच॰ राशन कार्ड धारकों को सस्ती दरों 1 रुपये प्रति किलोग्राम पर अनाज/राशन मुहैया करवाया जाता है।[2] इसी तथ्य के आधार पर लाभार्थियों से यह जानकारी ली गई है कि क्या आप अपने राशन कार्ड पर मिलने वाले राशन का लाभ उठा रहे हैं।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 6, March 2026
Impact Factor: 8.2

rkfydk Øekd&10

jk'ku dkMZ ij feyus okys jk'ku es ykHk lEcU/kh v/;;u

Ø-	fooj.k	la[;k	ifr'kr
1.	हाँ	80	100ʊ00
2.	कभी नहीं	0	0ʊ00
	;ksx	**80**	**100.00**

स्त्रोत् :— स्वतः के सर्वेक्षण से

उपरोक्त तालिका क्रमांक 10 से प्राप्त आँकड़ों के परिणाम से स्पष्ट है कि छतरपुर जिले में ए०ए०वाई० बी०पी०एल० व पी०एच०एच० राशन कार्ड धारकों को शामिल किया गया है। जिसमें 100.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार राशन कार्ड पर मिलने वाले राशन का लाभ उठा रहे है। जिसका कारण सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अर्न्तगत भोजन के अधिकार सम्बन्धी चलाई गई कल्याणकारी योजना है। जो लोगों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाती है।

अतः निकर्षतः यह कहा जा सकता है कि छतरपुर के 8 ग्राम पंचायतों सभी उत्तरदाता अधिनियम के अर्न्तगत आने वाली इस योजना का लाभ अपने राशन कार्ड के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं।

**vkidk jk"ku forj.k dh tkudkjh dSls izkIr gksrh gS **

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य जरूरतमंद व निर्धारित व्यक्तियों एवं परिवारों तक खाद्य एवं अन्य आवश्यक सामग्री की उपलब्धता का प्रावधान किया गया है। इस उद्देश्य में लाभार्थियों को सूचित किया जाना भी आवश्यक है क्योंकि बिना पूर्व सूचना के उपभोक्ता इससे प्राप्त होने वाली सामग्री नहीं ले पाएगा।[3] अतः इसी तथ्य के आधार पर लाभार्थियों से यह जानने का प्रयास किया गया है कि उनको राशन वितरण की जानकारी कैसे प्राप्त होती है।

rkfydk Øekd&11

[kk|kUu forj.k dh lwpuk dh tkudkjh

Ø-	fooj.k	la[;k	ifr'kr
1.	सूचना पटल से	9	11ʊ25
2.	उद्घोषणा से	23	28ʊ75
3.	व्यक्तियों से	28	35ʊ00
4.	व्हाट्सएप ग्रुप से	20	25ʊ00
	योग	80	100ʊ00

IJARSCT

International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology

International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal

ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 6, March 2026 Impact Factor: 8.2

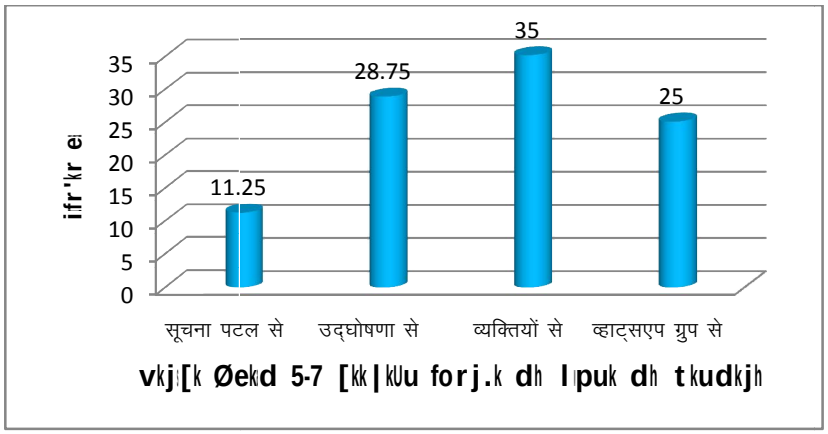

vkjs[k Øekd 5-7 [kk|kUu forj.k dh lwpuk dh tkudkjh

उपरोक्त तालिका क्रमांक 11 एवं आरेख क्रमांक 7 से स्पष्ट होता है कि खाद्यान्न वितरण की सूचना की जानकारी के प्रति उत्तरदाताओं का साक्षात्कार विश्लेषण करने पर 11.25 प्रतिशत खाद्यान्न वितरण की जानकारी सूचना पटल से होती है, 28.75 प्रतिशत खाद्यान्न वितरण की जानकारी उद्घोषणा से होती है, 35 प्रतिशत खाद्यान्न वितरण की जानकारी व्यक्तियों से होती है, जबकि 25.00 प्रतिशत खाद्यान्न वितरण की जानकारी व्हाट्सएप ग्रुप से होती है।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि सर्वाधिक 35.00 प्रतिशत खाद्यान्न वितरण की जानकारी व्यक्तियो के माध्यम से होती है। इस सम्बन्ध में स्थानीय लोगों [ाद्यान्न वितरण की सूचना की जानकारी आपस में देने का प्रयास करते है।

**D;k vkidks mfpr nj ndku ls feyus okyk vukt pkoy] xsgw] ekVk vukt ,o ued 01 #i;s ifr fdyks xke dh nj ls feyrk gS **

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अर्न्तगत प्रतिव्यक्ति/प्रति परिवार खाद्यान्न किस मूल्य दर पर दिया जाता है। इस संबंध में यदि पर्याप्त जानकारी है तो यह जानकारी इस कानून को सफल बनाने में अहम भूमिका अदा कर सकती है और इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने में सहायक हो सकती है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अर्न्तगत गेहूँ, चावल मोटा अनाज एवं नमक 1 रुपये प्रति किलो की दर से दिया जाता है।[4] अतः इसी तथ्य को आधार मानकर लाभार्थियों से इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गई है। जो निम्न तालिका में है–

rkfydk Øekd 12

D;k vkidks mfpr nj ndku ls feyus okyk vukt pkoy] xsgw] ekVk vukt ,o ued 01 #i;s ifr fdyks xke dh nj ls feyrk gS

क्रमांक	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	80	100.00
2.	नहीं	0	0.00
	;kx	**80**	**100-00**

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 6, March 2026 Impact Factor: 8.2

उक्त तालिका क्रमांक 12 से स्पष्ट है कि उचित मूल्य दुकान से मिलने वाला अनाज चावल, गेहूं, मोटा अनाज एवं नमक 01 रुपये प्रति किलो ग्राम की दर से मिलता है के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं से साक्षात्कार एवं विश्लेषण करने पर 100 प्रतिशत उत्तरदाताओं को खाद्यान्न 01 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से मिल रहा है।

इस प्रकार निष्कर्षतः कह सकते है कि सभी को 01 रुपये नियत दर पर खाद्यान्न राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम –2013 के तहत उपलब्ध हो रहा है।

rkfydk Øekd& 13

vkidk vkofVr fd, tku oky jk'ku dh xq.koÙkk dSlh g

Ø-	fooj.k	xq.koÙkk	la[;k	ifr'kr
1.	गेहूँ	अच्छा	48	60n00
		सामान्य	25	31n25
		खराब	07	08n75
;kx			**80**	**100.00**
2.	चावल	अच्छा	30	37n50
		सामान्य	35	43n75
		खराब	15	18n75
;kx			**80**	**100.00**

उक्त तालिका क्रमांक 13 से स्पष्ट होता है कि आपको आवंटित किए जाने वाले राशन की गुणवत्ता कैसी है के संबंध में 80 उत्तरदाताओं को साक्षात्कार में शामिल किया गया जिसमें 60.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने साक्षात्कार के दौरान बताया कि अच्छा गेहूँ आवंटित किया जाता है, 31.25 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने साक्षात्कार के दौरान बताया कि सामान्य गेहूँ आवंटित किया जाता है जबकि 08.75 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने साक्षात्कार के दौरान बताया कि खराब गेहूँ आवंटित किया जाता है।

इसी प्रकार से 37.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने साक्षात्कार के दौरान बताया कि अच्छा चावल आवंटित किया जाता है, 43.75 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने साक्षात्कार के दौरान बताया कि सामान्य गुणवत्ता का चावल आवंटित किया जाता है जबकि 18. 75 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने साक्षात्कार के दौरान बताया कि खराब चावल आवंटित किया जाता है।

rkfydk Øekd&14

vkidh mfpr eY; nqdku e rjkt dku lk g

Ø-	fooj.k	la[;k	ifr'kr
1.	साधारण तराजू	0	0
2.	इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा	80	100n00
;kx		**80**	**100.00**

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 6, March 2026 Impact Factor: 8.2

उपरोक्त तालिका क्रमांक 14 से स्पष्ट होता है कि उचित मूल्य की दुकान में तराजू कौन सा है के संबंध में उत्तरदाताओं से साक्षात्कार करने पर ज्ञात हुआ कि 100 प्रतिशत सभी दुकानों में इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा तौल के लिए उपलब्ध है।

rkfydk Øekad& 15

D;k byDVªkfud rkSy dkVk dk ihvk,l e'khu l tkMk tkuk pkfg,

Ø-	fooj.k	l[;k	ifr'kr
1.	हाँ	80	100ण00
2.	नहीं	0	00ण00
;kx		**80**	**100.00**

उपरोक्त तालिका क्रमांक 5.15 से स्पष्ट होता है कि क्या इलेक्ट्रानिक तौल कांटा को पीओएस मशीन से जोड़ा जाना चाहिए के संबंध में उत्तरदाताओं से साक्षात्कार करने पर ज्ञात हुआ कि 100 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अपने विचार व्यक्त किए कि इलेक्ट्रानिक तौल कांटा को पीओएस मशीन से जोड़ा जाना चाहिए।

**vkid ifr mfpr eY; ndku d foØrk dk 0;ogkj dSl k g **

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का सबसे मुख्य बात यह है कि उचित मूल्य दुकान के विक्रेता का व्यवहार, उपभोक्ताओं की सन्तुष्टि और योजना की सफलता में मुख्य भूमिका अदा करता है।[5] इसी तथ्य को आधार मानकर लाभार्थियों से विक्रेता के व्यवहार सम्बन्धी जानकारी प्राप्त की गई है। जिसका वर्णन निम्न तालिका में है।

rkfydk Øekad&16

mfpr eY; ndku foØrk dk 0;ogkj dSl k g

Ø-	fooj.k	l[;k	ifr'kr
1.	अच्छा	15	18ण75
2.	सामान्य	45	56ण25
3.	ठीक नहीं	20	25ण00
;kx		**80**	**100.00**

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 6, March 2026
Impact Factor: 8.2

vkj[k Øekd 8 mfpr eY; ndku foØrk dk 0;ogkj dlk g

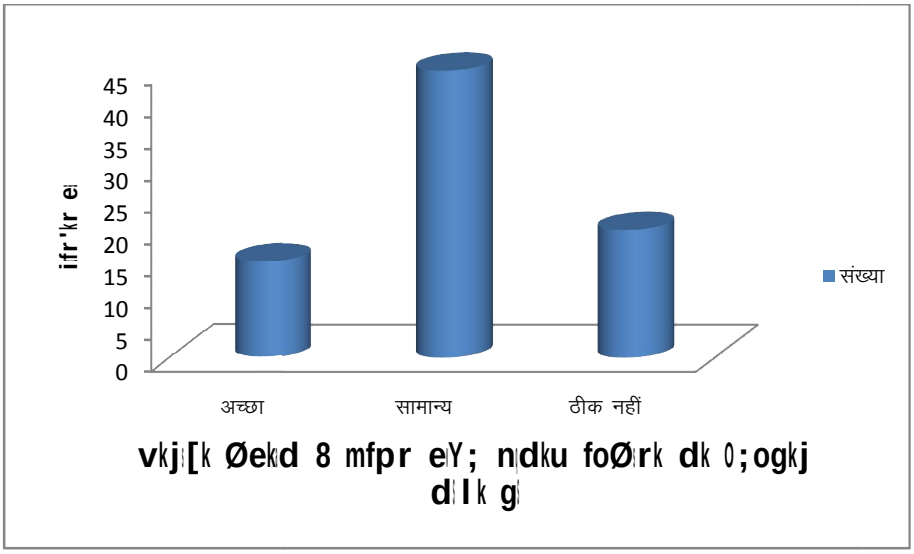

उपरोक्त तालिका क्रमांक 5.16 एवं आरेख क्रमांक 5.8 के आँकड़ों से प्राप्त परिणाम से स्पष्ट है कि 18.75 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार विक्रेता का व्यवहार अच्छा, 56.25 के अनुसार सामान्य है जबकि 25.00 प्रतिशत के अनुसार ठीक नहीं है।

अतः उक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि जिले के 56.25 प्रतिशत यानि आधे से अधिक उत्तरदाताओं के अनुसार विक्रेताओं का व्यवहार सामान्य है व 25.00 प्रतिशत के अनुसार ठीक नहीं है।

rkfydk Øekd 17

mfpr eY; ndku lc/kh f'kdk;r gku ij foHkkx d {k=h; vf/kdkfj;k l lEidZ fd;k

Ø-	fooj.k	l[;k	ifr'kr
1.	हाँ	8	10ण00
2.	नहीं	72	90ण00
;kx		80	100.00

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 6, March 2026
Impact Factor: 8.2

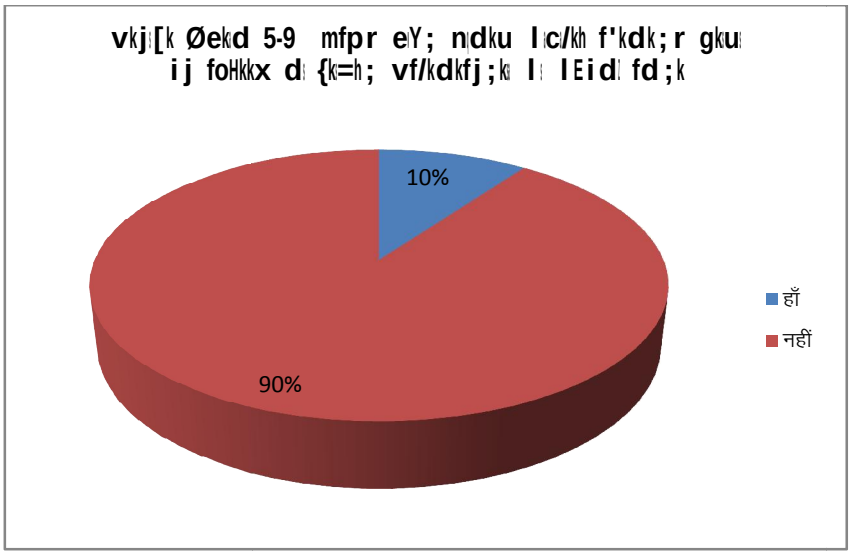

उपरोक्त तालिका क्रमांक 17 एवं आरेख क्रमांक 9 से स्पष्ट होता है कि उचित मूल्य दुकान संबंधी शिकायत होने पर विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों से सम्पर्क किया जिसके संबंध में उत्तरदाताओं से साक्षात्कार कर विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ कि 10.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सम्पर्क किया जबकि 90.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सम्पर्क नहीं किया।

इससे तरह निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि सर्वाधिक 90.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सम्पर्क नहीं किया। जिससे स्पष्ट होता है कि आमतौर पर हितग्राहियों को अधिकारियों से सम्पर्क नहीं हो पाता।

l>ko %&

प्रस्तुत शोध पत्र में शासन द्वारा गरीबों के लिए चलाई जा रही खाद्य सुरक्षा की पारदर्शिता को निम्नानुसार बनाये जाने की बात पर बल देना है–

- बच्चों को स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में मुफ्त भोजन।
- राज्यों को पात्र परिवारों की पहचान करने और सूची प्रकाशित करने की जिम्मेदारी दी गई।
- पारदर्शिता बढ़ाने के लिए डिजिटलाइजेशन और आधार–आधारित पहचान का उपयोग।
- गरीब और कमजोर वर्गों को खाद्य सुरक्षा मिली।
- भूख और कुपोषण कम करने में मदद।
- महिलाओं और बच्चों के पोषण स्तर में सुधार।
- राज्यों में पात्र परिवारों की सही पहचान करना कठिन।
- वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार और लीकेज की समस्या।
- भंडारण और परिवहन की कमजोरियाँ।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 6, March 2026 Impact Factor: 8.2

fu"d"kr% कहा जा सकता है कि कुल मिलाकर, भारत में खाद्य सुरक्षा को कानूनी अधिकार का दर्जा दिया और करोड़ों लोगों को सस्ती दरों पर भोजन उपलब्ध कराया। हालांकि, इसके प्रभाव को और मजबूत करने के लिए पारदर्शिता, बेहतर कार्यान्वयन और भ्रष्टाचार नियंत्रण की आवश्यकता बनी हुई है।

InHk Ikr %&

1 एस॰के॰मिश्रा और वी॰के॰पुरी॰, (2017) *भारतीय अर्थव्यवस्था,* हिमालय पब्लिकेशन, मुम्बई,

2 श्रीवास्तव, राकेश (मई 2018,) *"पोषण अभियान : कुपोषण से निपटने की कारगर शुरूआत"*, नई दिल्ली, योजना भवन, संसद मार्ग, योजना, अंक 5, वॉल्यूम 55,

3 दत, के॰पी॰एम॰एवं सुन्दरम, (2012,) *भारतीय अर्थव्यवस्था,* एस॰चान्द एंड कम्पनी पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, पृ॰ 402

4 पाण्डे, संदीप (9 अगस्त, 2013) *"सबका पेट भरना एक चुनौती,"* दैनिक जागरण, हिसार, पृ॰ 8

5 अग्रवाल, नीलिमा (अगस्त 2004) *"बी॰पी॰एल॰ परिवार और जीवन रक्षण सुविधाएं"*, कुरूक्षेत्र, अरावली प्रिन्टर्स एण्ड पब्लिकेशन, नई दिल्ली,